



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/4519

दिनांक : 08-12-16

प्रति,

प्राचार्य,
प्रशांति कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,
उज्जैन।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियमक्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरंतरता आवेदन क्रमांक/18, दिनांक 15.03.2016

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय/नवीन विषय की संबद्धता-निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशासनात्मक विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.07.2016 में प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को आवेदित पाठ्यक्रम में, कार्यपरिषद् की अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्न विवरणानुसार सत्र 2016-17 से शर्तों के अधीन नितांत अस्थाई संबद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1	बी.एड.	100

शर्त :- 01. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3) (1) के अनुसार रु. 25,000/- की इण्डोमेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी.आर.कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करें, यदि उपरोक्त राशि की एफ.डी.आर. विश्वविद्यालय में जमा की जा चुकी हो तो विभाग को छायाप्रति उपलब्ध करावें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/संबद्धता/2016/4520

दिनांक : 08-12-16

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. प्राचार्य, संबंधित अग्रणी महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, उज्जैन।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनार्थ।

10/12/16
प्रो. इंवारज (अकादमिक)